न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/821 दिनांक 15/9/25

श्री पुरूषोत्तम मीणा पुत्र श्री हरीराम मीणा
निवासी झौरोल पोस्ट कटारा
तहसील नदबई

विषयः—अपील संख्या 64/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री पुरूषोत्तम** मीणा बनाम लो.सू.अ. **विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक** 04.09.2025 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति

आज्ञा से,

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

पुरूषोत्तम मीना बनाम लो.सू.अधि. विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 64 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट पुरूषोत्तम मीणा पुत्र हरीराम मीणा निवासी झौरोल पोस्ट कटारा तहसील नदबई की ऑनलाईन अपील संख्या 060983933104793 से लोक सूचना अधिकारी **विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः मूल अपील प्रार्थी को लौटाई जाकर लिखा जावे कि वे नियमानुसार अपील प्रधान, पंचायत समिति नदबई के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	821 15/9/25 [illegible]